उत्तराखण्ड शासन,
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग
संख्याः–830 / XVIII-(2)/F/13–4(19)/2013 टी.सी.
देहरादून, दिनांक : 22 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुपालन एवं कियान्वयन हेतु "आपदा प्रबन्ध हेतु समीक्षा एवं अनुश्रवण कोर समिति" निम्नानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– मुख्य सचिव–	अध्यक्ष
2– अवस्थापना विकास आयुक्त–	सदस्य
3– प्रमुख सचिव, वित्त–	सदस्य
4– वन एवं ग्राम विकास आयुक्त–	सदस्य
5– प्रमुख सचिव, नियोजन–	सदस्य
6– प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0–	सदस्य
7– सचिव एवं आयुक्त, राजस्व परिषद्–	सदस्य
8– श्री डी.के. कोटिया, उपाध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड–	सदस्य
9– सचिव, आपदा प्रबन्धन–	सदस्य सचिव

उक्तानुसार गठित समिति के अध्यक्ष यथाआवश्यकता किसी सरकारी अधिकारी अथवा विशेषज्ञ को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकते है। समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विवरण निम्नवत् हैः–

1– समिति उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 की धारा–11 में "उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" द्वारा किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी।

2– समिति उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 के अन्य सभी प्राविधानों के अनुपालन एवं कियान्वयन हेतु समीक्षा एवं अनुश्रवण भी करेगी।

3– समिति विशेष रूप से आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यो में संलग्न सभी विभागों/अधिकारियों/संस्थाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित किया करेगी।

4– समिति आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यो में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण किया करेगी।

5– समिति आपदा से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में योजना तैयार करने के लिए पृथक से समिति का गठन भी कर सकेगी।

6– अत्यन्त विशिष्ट प्रकृति के नीतिगत विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए समिति अधिकृत होगी। विशिष्ट प्रकृति के नीतिगत निर्णयों का प्रस्ताव समिति द्वारा "उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" के अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

7– समिति राज्य सरकार के समस्त विभागों, संस्थाओं तथा प्राधिकारियों को आपदा से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश/आदेश देने हेतु अधिकृत होगी। ऐसे किसी भी निर्देश/आदेश का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा। निर्देश/आदेश का पालन न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

8— समिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह नियत दिवस एवं समय पर बैठक की जाए

9— समिति द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष येक सप्ताह नियत दिवस को आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में रिर्पोट प्रेषित की जायेग

10— समिति समय—समय पर आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में राज्य के मंत्रि पोर्ट प्रस्तुत करेगी।

11— समिति द्वारा आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मियों/एजेंसियों आदि को पुरूस्कृत किये जाने हेतु योजना तैयार की जायेगी तथा पुरूस्कार हेतु अनुसंशा की जायेगी।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.—85NP/वित्त—5/2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भास्करानन्द
सचिव

<u>संख्या— (1)/XVIII-(2)/2013-4(19)/2013 TC, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3— निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन मंत्री, उत्तराखण्ड।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7— सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
10— समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
11— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
13— अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
14— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव